

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय
ए-13, सैक्टर-24, नोएडा
उत्तर प्रदेश- 201301

VIG-07002/1/2020-VIG

नोएडा दिनांक 03.12.2025

परिपत्र /CIRCULAR

विषय:- समूह "ए" "बी" और "सी" से संबन्धित सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अचल संपत्ति विवरण संबंधि ।

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, के नियम 18(4) के अनुसार, समूह "क", "ख ", और "ग", के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक, अपना वार्षिक अंचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है ।

तदनुसार, समूह "क", "ख ", और "ग", के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 01.01.2026 को, वर्ष 2025 की अपनी वार्षिक अंचल संपत्ति रिटर्न, ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से 31.01.2026 को या उससे पहले बिना चूके जमा करें, और उसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए सतर्कता शाखा में भेजें ।

In accordance with Rule 18(4) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, all Government servants belonging to Groups 'A', 'B', and 'C' are required to file their Annual Immovable Property Return (AIPR) by 31st January, 2026.

Accordingly, all Group "A", "B", and Group "C", officers and staff are instructed to submit their Annual Immovable Property Return for the year 2025, as on 01.01.2026, through e-HRMS Protal on or before 31.01.2026 without fail, and to forward a copy of the same to Vigilance Branch for records.


पी डी राणपुरा/P.D.Ranpura
निदेशक /Director
कृते महानिदेशक/For Director General

संलग्नक: उपरोक्तनुसार

महानिदेशक

उपमहानिदेशक

निदेशक-I/II

उपनिदेशक-I/II/III

प्रशासन अधिकारी

सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) (ई)

सहायक निदेशक (राजभाषा) / कार्यकारी अधिकारी-I/II/III

सहायक लेखा अधिकारी एवं सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल)

महानिदेशक के निजी सचिव

वर्ग ख / ग के अन्य सभी अधिकारी